[Shri Sukhdev Prasad†

[Placed in Library. *See* No. LT-4553/73 for (i) and (ii).]

I. ANNUAL REPORT (1971-72) OF THE CENTRAL BOARD FOR WOKERS EDUCATION

II. NOTIFICATIONS UNDER THE COAL MINES PROVIDENT FUND FAMILY PENSION AND BONUS SCHEMES ACT, 1948

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI G. VENKAT SWAMY): Sir, I beg to lay on the Table—

I. A copy (in English and Hindi) of the Thirteenth Annual Report of the Central Board for Workers Education, for the year 1971-72.

[Placed in Library. *See* No. LT-4554/73].

II. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) under section 7A of the Coal Mines Provident Fund, Family Pension and Bonus Schemes Act, 1948:—

(i) Notification G.S.R. No. 501 (E), dated the 30th December, 1972, publishing the Coal Mines Bonus (Amendment) Scheme, 1972.

(ii) Notification G.S.R. No. 502 (E), dated the 30th December, 1972, publishing the Andhra Pradesh Coal Mines Bonus (Amendment) Scheme, 1972.

(iii) Notification G.S.R. No. 503 (E), dated the 30th December, 1972, publishing the Assam Coal Mines Bonus (Amendment) Scheme, 1972.

(iv) Notification G S.R. No. 504 (E), dated the 30th December, 1972, publishing the Rajasthan Coal Mines Bonus (Amendment) Scheme, 1972.

[Placed in Library. *See* No. LT-4555/73, for (i) to (iv)].

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

DETECTION OF SERIOUS IRREGULARITIES IN THE CONSTRUCTION OF THE SAFDARJUNG FLYOVER, NEW DELHI

श्री ओम प्रकाश त्यागी : (उत्तर प्रदेश) श्रीमान् में आपकी आज्ञा से सफदरजंग उपरिपुल, नई दिल्ली के निर्माण के संबंध मे पाई गई गंभीर अनियमितताओं की ओर निर्माण और आवास मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI OM MEHTA): Mr. Chairman, Sir M/s. Dewan Suraj Prakash Chopra and Sons have . . .

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश): श्रीमान् मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि श्री ओम् मेहता हिन्दी खूब अच्छी तरह से जानते है। जब उनसे हिन्दी मे सवाल पूछा गया तो उन्हे हिन्दी में ही जवाब देना चाहिये। यह तो हिन्दी के साथ ज्यादती हुई।

श्री सभापति : आप तो दोनों ही भाषा समझ लेते हैं।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : यह समझने की बात नही है बल्कि सिद्धान्त की बात है।

श्री ओम् मेहता : जब आप सप्लीमेंटरी पूछेंगे, तो मै हिन्दी में जवाब दूंगा।

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): The hon. Member knows English very well.

SHRI OM MEHTA: Sir, M/s. Dewan Suraj Prakash Chopra and Sons have been entrusted by the New Delhi Municipal Committee to carry out work of Construction of an overbridge on Mehrauli Road near Safdarjung Airport. On receipt of

information on March 18, 1973, about some deficiencies in the execution of the work, the technical officers of the committee carried out excavation at the site and found that two piles of the retaining wall on the southern side of the bridge which were to go to a depth of 3.5 meters according to the specification had actually been left at 0.57 meter. The contractor had claimed and received payment for the work relating to the construction of these piles as if they had been taken to the required depth as per specifications, which was considered to be a criminal offence and accordingly a report was lodged by the Chief Engineer, N.D.M.C. with the Police Station, Defence Colony on the night between 18th and 19th March, 1973. Investigations are in progress. Police have so far arrested Shri Suraj Prakash Chopra and his son of the firm of Contractors and Shri S. K. Tandon, Junior Engineer of the N.D.M.C.

The N.D.M.C. has placed under suspension the concerned Municipal Engineer, Assistant Engineer and Junior Engineer.

[Mr. Deputy Chairman *in the Chair.*]

श्री ओम प्रकाश त्यागी : उपसभापति महोदय, यो तो भारतवर्ष मे जितने कन्ट्रैक्टर है, वे जितने का ठेका लेते है उसमे गडबड करते है और कही भी चले जाइए दफ्तरो मे 10 परसेंट कमीशन इंजीनियर्स के साथ बधा हुआ है, जो ठेकेदारो को इंजीनियर्स को देना ही होता है। यह गडबड सर्वत्र भारतवर्ष मे है। चोपडा साहब पकडे गए है, इसके माने यह है कि चोपडा कन्ट्रैक्टर ही बेईमान है, चोर है, डकैत है, सो बात नही, थ्रू आउट इंडिया इसी प्रकार का सिलसिला चला है। चोपडा क्यो पकडे गए इस मामले मे दो रहस्य है। आज से डेढ वर्ष पूर्व चोपडा साहब को सफदरजग पुल बनाने का ठेका एवार्ड के रूप मे दिया गया और क्या यह भी सच है कि उसके कुछ ही महीने के पश्चात् उनको मारुति लिमिटेड में भी ठेका दिया गया? इस बेचारे चोपडा ने चूकि सजय गाधी के विरुद्ध 5 लाख का दावा किया, इसलिए आज वह जेल मे पडा है। मारुति लिमिटेड का ठेका लेने के पश्चात् चोपडा साहब से बनी एक दीवार मारुति लिमिटेड की गिरी और कुछ आदमी मरे। इस पर सजय गाधी और उनका झगडा हुआ और सजय गाधी ने उनको हटा दिया। इस पर चोपडा साहब ने कापेंनसेशन के लिए 5 लाख का केस मारुति लिमिटेड के खिलाफ दायर कर दिया और वह आज भी कोर्ट मे चल रहा है। क्या यह सच है कि उसके पश्चात् यह पुल उनको बनाने को दिया गया और उनको धमकी दी गई कि शहजादे साहब द्वारा कि तुमको जेल मे पहुचा कर भीख न मगवा दी तो मेरा नाम नही? क्या यह भी सच है कि इसी पुल के बारे मे जो नियमित अधिकारी होते है सेंट्रल विजिलेंस के, उसके चीफ टैक्नीकल एग्जामिनर ने इस पुल की जाच की और जाच करने के पश्चात् ओ के रिपोर्ट दी सरकार को? यदि पुल के डिफेक्टिव खम्बे थे और आज पकडे गए है तो फिर जिस चीफ टैक्नीकल एग्जामिनर ने ओ के रिपोर्ट दी, उसके खिलाफ एक्शन क्यो नही लिया? क्या सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेगी? दूसरे जिन इंजीनियर्स को गिरफ्तार किया गया है और जो सस्पेंड किये गये है उनकी भी एक कहानी है। एन डी एम सी मे एक असिस्टेंट इंजीनियर चेतल साहब थे, उनको प्रोबेशन पर सीनियर इंजीनियर बनाया गया। मेरी रिपोर्ट है कि उसको कहा गया कि इस ठेकेदार का काम करने वाले जो आफिसर है तुम उनको सस्पेंड कर दो तो तुम्हे चीफ इंजीनियर बनाया जायेगा और जो सीनियर इंजीनियर प्रोबेशन पर था उसको आज चीफ इंजीनियर का स्थान रिक्त होने पर एक्टिंग चीफ इंजीनियर बना दिया गया है और उन्ही के द्वारा एन डी एम सी के एग्जीक्युटिव इंजीनियर और दो और इंजी-

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

नियर्स को सस्पेंड किया गया है । मै पूछना चाहता हू आपसे कि क्या चेतल साहब जो आज चीफ इजीनियर बना दिये गये है, इन्होने कोई डिपार्टमेटल इन्क्वायरी की या नही और अगर डिपार्टमेटल इन्क्वायरी की तो उन्होने क्या एक्शन लिया और जो चीफ टैक्नीकल एग्जामिनर था, उसके खिलाफ गवर्नमेट ने क्या किया ? मै गवर्नमेट से पूछना चाहता हू कि क्या यह सभी सच है कि इस ठेकेदार के द्वारा और भी सरकारी भवनो का निर्माण हुआ है और क्या सरकार उनकी भी जाच कराने का विचार रखती है ? अन्त मे मैं केवल एक सवाल और पूछना चाहता हू और वह यह है कि आपने दो खम्भो की बात कही है, पुल के नीचे बहुत खम्भे हैं, क्या वे सभी खम्भे डिफेक्टिव है या वे दो खम्भे ही डिफेक्टिव पाए गए और उसी के आधार पर ठेकेदार को पकड लिया गया ? क्या इस घोटाले की जाच करने के लिए आप एक विशेष न्यायाधीश की अध्यक्षता मे विशेषज्ञो द्वारा जो कि निष्पक्ष हो, जाच कराने का आश्वासन देगे ताकि सचाई बिल्कुल सामने आ सके और ठेकेदार के साथ भी न्याय हो सके ।

मै अन्त मे यह कहना चाहता हू कि ठेकेदार को या उनके कोई और भी लडके भागे भागे फिर रहे है, उनको अभी तक गिरफ्तार क्यो नही किया गया ? अगर ठेकेदार ने गडबड की है तो उसके खिलाफ केस होना चाहिए । अगर वह षडयत्र का शिकार है तो उसकी भी जाच होनी चाहिए । इसके लिए आप क्या न्यायाधीश की अध्यक्षता मे एक विशेषज्ञो का कमीशन नियुक्त करने का आश्वासन देगे ?

श्री ओम् मेहता श्रीमन्, माननीय त्यागी जी ने कई बाते उभारी मेरे जवाब के सिलसिले मे । पहले उन्होने कुछ मारुति लिमिटेड का नाम लिया कि क्या यह कन्ट्रैक्टर वहा था या नही । हमारा तो उससे कोई सम्बन्ध नही है । हम तो इस कन्ट्रैक्ट से सम्बन्ध रखते है ।

श्री ओम् प्रकाश त्यागी मेहता साहब, आप सही बात बताइए ।

श्री ओम् मेहता : मैं सही बात बता रहा हू । सही बात यह है कि हमने इस कट्रैक्ट के लिए कट्रेक्टर से टेडर बुलाये । जिन तीन आदमियो ने टेडर दिये उनमे सबसे कम टेडर इस कट्रैक्टर का था इसलिए इसको यह टेडर दिया गया ।

श्री ओम् प्रकाश त्यागी अवार्ड दिया गया ।

श्री ओम् मेहता टेडर हमेशा अवार्ड ही होता है । जब से इस कट्रेक्टर ने काम शुरू किया, जुलाई, 71 मे उसने यहा काम शुरू किया, किन्तु सफदरजग सिविल एविएशन के बारे मे कुछ टैक्निकल बाते थी, इसलिए अप्रैल, 72 मे काम शुरू किया गया । इसमे एक सब-कट्रैक्टर था और जो पाइल फाउण्डेशन का काम करता था, उसके पास काफी जानकारी थी और वह ये सब काम करता था । लेकिन जब कुछ लोगो ने, जो उसके साथ ही काम करते थे, जिनके नाम इस समय पुलिस मे है मै यह कहने के लिए तैयार हू कि उन्होने आकर विजिलेस वालो को इफार्म किया कि इन दो पाइल्स की डैपथ 12 फुट तक नही ली गई, तो विजिलेस वालो ने--आपको तो मुबारकबाद देनी चाहिए विजिलेस वालो को--वहा आकर ऐट-साइट जाकर उनको खोदा और पाया कि 12 फुट के बजाय केवल 1 फुट 10 2 इच नीचे तक लिये गये थे ।

श्री महावीर त्यागी (उत्तर प्रदेश) और बाकी पायो को देखा या नही ?

श्री ओम् मेहता दो को देखा । जब केस रजिस्टर हुआ तो यह फैसला किया गया कि जब तक बाकी 238 पाये है, इनके बारे मे

जानकारी नहीं होगी कि ये सेफ है कि नहीं, उस वक्त तक इस काम को आगे नहीं चलाया जाएगा। जब इसकी जांच करेंगे, तब इस पुल को ट्रैफिक के लिए छोड़ देंगे।

जहां तक यह कहा गया कि यह जो कंट्रैक्टर था उसने एक दीवार बनाई और वह गिर गई। इसका मतलब यह है कि इसने दो तीन काम और किये। एक काम इसने रन-वे एयर पोर्ट का बनाया। उसके बनाने के बाद उसमें क्रैक्स आ गये तो उसके खिलाफ एक केस रजिस्टर हुआ और उस केस में भी स्पेशल पुलिस इंवेस्टिगेशन कर रही है। इसके अलावा इसकी नेगलिजेंस की वजह से एक लेबरर भी मर गया था और उसमें भी उसके खिलाफ 304ए में केस रजिस्टर किया गया है। इसके पहले भी यह अरेस्ट हुआ और अभी वह केस कोर्ट में चल रहा है। यह नहीं है कि अब की वजह से इसको अरेस्ट किया गया है, बल्कि इस कंट्रैक्टर ने एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे फाल्ट्स किये, तब उसको गिरफ्तार किया गया। इसमें केवल पाइल्स में ही डिफेक्ट नहीं था, बल्कि जो रिटेनिंग वाल्स थे उनमें भी क्रैक्स आ गये। जब रिटेनिंग वाल्स में क्रैक्स आये तो चीफ इंजीनियर ने उसी वक्त मिनिस्ट्री आफ ट्रांसपोर्ट को...

श्री ओम् प्रकाश त्यागी : जब इतनी रिपोर्टस आपके पास इस ठेकेदार के खिलाफ थीं तो इसको ठेका क्यों दिया गया।

श्री ओम् मेहता : यह तो सब ठेके के बाद पता लगा। फिर ठेका इसका सबसे नीचे का था तो हम इसको कैसे रोक सकते थे, अगर हम ठेका ऐसे कांट्रैक्टर को दे देते जिसको ज्यादा रुपया देना पड़ता तो कल पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में आप ही लोग कहते कि इसमें जो आपका मोटू था वह गलत था आपने क्यों उसको कांट्रैक्ट दे दिया। जिसका लोएस्ट कांट्रैक्ट था, जिसके पास नो हाऊ था, जो जानकारी रखता था ...

श्री ओम् प्रकाश त्यागी : बेईमान भी था।

श्री ओम् मेहता : बेईमानी की बात बाद में मालूम हुई, कांट्रैक्ट देने के बाद मालूम हुई, कांट्रैक्ट देने के पहले नहीं मालूम हुई। यह रन वे की बेईमानी के बारे में इंटेरिम रिपोर्ट 5-10-71 को आई। जो कांट्रैक्ट अवार्ड किया गया है वह जुलाई, 1971 को किया गया है। तो इसके चार महीने बाद मालूम हुआ कि वह रन वे जो है उसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं।

श्री ओम् प्रकाश त्यागी : दो तीन केसेज आपने बताये।

श्री ओम् मेहता : दूसरा केस यह पुल के बनाते-बनाते हुआ जब कि एक लेबरर मर गया, उसमें भी क्रिमिनल केस हुआ उसके खिलाफ।

डा० भाई महावीर (दिल्ली) : बाकी सारे केसेज मेहता जी को मालूम हैं। मारुति के साथ इनकी कोई मुकदमेबाजी है या नहीं...

(*Interruption*)

श्री ओम् मेहता : सर, वह भाई महावीर जी जानते होंगे। मैं नहीं जानता। भाई महावीर जी का भूपेश गुप्त जी के साथ कल कोर्ट में कोई केस चल पड़े तो हम कैसे जानेंगे कि उनका केस चल पड़ा है।

डा० भाई महावीर : महोदय, प्रश्न बिलकुल स्पेसिफिक किया गया है। अगर मंत्री जी को मालूम...

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (राजस्थान) : प्वाइंट आफ आर्डर, सर। यानी जो हम लोगों ने काल अटेंशन दिया है उस पर पहले त्यागी जी बोले, उसके बाद मेरा नम्बर आयेगा। उसके बाद अगर सवाल पूछना हो तो डा० भाई महावीर जी पूछें। वे पहले कैसे पूछेंगे।

डा० भाई महावीर : आपने प्वाइंट आफ आर्डर सुन लिया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I cannot allow you to ask any questions now. You will be depriving the chances of other Members who are to speak next. Dr. Bhai Mahavir, I will not entertain any questions.

डा० भाई महावीर : उपसभापति जी, मैं सिर्फ आपके लिए निवेदन कर रहा हूं । जब मन्त्री जी खास मुद्दे पर न बोलें और बाकी सब बातों पर बोलते जायं, तो वह जवाब सही नहीं कहा जा सकता ।

श्री ओम् मेहता : भाई महावीर जी अगर चाहते है कि पब्लिक लाइफ काफी साफ हो तो इसमें वे हमारे डिपार्टमेंट की तारीफ करते कि कांट्रैक्टर को पकड़ कर के जेल में डाल दिया गया और एक इंजीनियर को सस्पेंड किया गया । इतनी जल्दी ऐक्शन ले रहे हैं ताकि सबस्टेंडर्ड काम न हो । इसके बजाय उन्होंने कांट्रैक्टर को डिफेंड करना शुरू कर दिया ।

(*Interruption*)

श्री ओम् प्रकाश त्यागी : उपसभापति महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नही दिया गया । सी० टी० ई० में जो चीफ टैक्निकल एक्जामिनर ने इस पुल की जांच की थी उसमें उसने रिपोर्ट ओ० के० दी थी । उसके खिलाफ क्या कोई एक्शन आपने लिया था लेने का आपका विचार है ।

श्री ओम् मेहता : ऐसा नही है कि किसी ने ओ० के० रिपोर्ट दी हो । इससे पहले भी जो डिफेक्ट्स थे, वे हमारे पास आये और उनसब पर इंक्वायरी हो रही है ।

श्री ओम् प्रकाश त्यागी पेमेंट ।

श्री ओम् मेहता : पेमेंट विदहैल्ड किये हुये है । (*Interruption*) मेरे पास जानकारी नही है । मैं पता करूंगा ।

श्री ओम् प्रकाश त्यागी : मैने यह पूछा कि चूंकि यह सन्देहास्पद मामला है तो क्या कोई न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक कमेटी बना कर के जाच कराने के लिए शासन तैयार है ।

SHRI OM MEHTA: No, Sir.

श्री ओम् प्रकाश त्यागी : नौ सर, तो फिर क्या सच्चाई निकालेंगे आप ।

(*Interruption*)

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : उपसभापति महोदय, यह जो पुल का मामला हमारे सामने आया, यह एक साधारण मामला न हो कर के बहुत ही संगीन मामला है । ये जो ठेकेदारों के द्वारा जिस तरह से काम होते है और जिस तरह से पी० डब्लू० डी० में होता है, यह कोई नई बात नही है । सारे मुल्क में जहां कहीं भी हम देखते है इसी तरह की राष्ट्र निर्माण की चीजें घातक सिद्ध हो रही हैं । कही पर सड़कें बनती है तो उनमें तीन दिन में गड्ढे पड़ जाते हैं । कई बड़ी-बड़ी करोड़ों रुपये की इमारतें बनती हैं, लेकिन उनमें पानी टपकता रहता है और वे गिर जाती हैं । तो इस विभाग में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, वह हमारे डेवलपिंग कंट्री के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है ।

लेकिन यह जो पुल का मामला हमारे सामने आया उसमें तो हिमाकत है । हमारे राष्ट्र की राजधानी में जहां लाखों लोगों का आना जाना होगा, जहां बडे-बडे ट्रक चलेंगे, वहां एक पुल की बुनियाद इतनी कम रखी जाय, जहां उसकी बुनियाद 12 फिट की होनी चाहिए थी, वहां केवल एक फुट 10 इंच ही रखी जाय, जबकि एक मामूली मकान की बुनियाद भी 2 फुट होती है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है । यह एक दिल्ली का ही प्रश्न नहीं है, पुल का ही प्रश्न नही है, यह सारे इंजिनियर्स का प्रश्न है यह सारे कन्ट्रैकटर्स का प्रश्न है । मैं समझती हूं कि इसके दो पहलू हैं । एक तो यह है कि विभाग कन्ट्रैकटर से मिल कर भ्रष्टाचार के द्वारा उनसे कमजोर काम कराता है और इस तरह से तमाम भ्रष्टाचार चल रहा है . .

श्री उपसभापति : आप क्लेरिफिकेशन पूछिये ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुंडावत : दूसरे मैं यह सोचती हूं इस तरह के जो जुल्म किये

जाते है उन में उन लोगों को बहुधा बचा लिया जाता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि अभी आपने एक जूनियर इंजीनियर को सस्पैन्ड किया। तो मैं जानना चाहती हूं कि क्या पौने दो करोड़ के काम की सारी जिम्मेदारी एक जूनियर इंजीनियर की ही थी। कोई दूसरा असिस्टेंट इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इस के लिए जुम्मेदार नही था? दूसरे जो आपने बताये उन में अगर दो खम्बे कमजोर होंगे तो सारा पुल ही कमजोर हो जायेगा, तो उन बाकी खम्बों के लिए क्या किया जा रहा है? दूसरे, जो नियम है उस के अनुसार इस कंट्रेक्टर को ब्लैक लिस्ट क्यो नही किया जाता है और ऐसे कंट्रेक्टर को बार-बार ठेके क्यों दिये जाते हैं और यह एक ही कंट्रेक्टर ऐसा नही है, हम लिस्ट देखें तो एक नहीं, अनेक ऐसे कांट्रेक्टर हैं।

श्री ओम मेहता : यह जो कहा गया कि सिर्फ एक जूनियर इजीनियर को ही क्यों सस्पेंड किया गया, तो यह बात ठीक नही है। जैसा कि अभी स्टेटमेंट में कहा गया सिर्फ एक जूनियर इंजीनियर को नही एक म्युनिसिपल इंजीनियर, जिसकी निगरानी मे यह काम हो रहा था उसको सस्पेंड किया अर उस के नीचे असिस्टेंट इंजीनियर को भी किया और जूनियर इंजीनियर को भी किया। तीनों को सस्पेंड किया बाकी जो कुछ माननीय सदस्या ने सी० पी० डब्लू० डी० और दूसरे वर्क्स के बारे मे कहा, मैं इससे इंकार नहीं करता कि उस में कहीं डिफेक्ट्स नहीं है, लेकिन वह उनमें सुधार कर रहे हैं इसके साथ साथ जो हमारी विजिलेंस सर्विस है उस को भी हम ज्यादा मजबूत कर रहे हैं ताकि जितने पब्लिक डिपार्टमेंट के काम हो रहे हैं वह अच्छी तरह से हो सकें और बेहतर हो सकें।

डा० भाई महावीर : जनरल जो कुछ उन्होंने बताया वह सब क्या मंत्री जी ने मान लिया?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't make him react, Dr. Mahavir.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: (West Bengal): Sir, my friend the hon. Minister is trying to make the Maruti Company an untouchable.

SHRI OM MEHTA: No, no.

SHRI SASANKARASEKHAR SANYAL: May I ask him whether on the 18th of March when the information was received,as stated by him in his first...

AN HON. MEMBER: That was Holi day!

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: On the Holi day most unholy function was done. It is not fact that the first information camp from the Maruti camp.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is that camp?

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: That camp is he Maruti motor factory camp.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No such thing as a camp...

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: who got the information. These things have not been mentioned by him. Therefore, after Tyagiji put his questions I thought there might be some real denial from the hon. Minister, but the hon. Minister started by saying that he did not know what happened to Maruti. This is, I am telling him, what has come to us so that he may make an inquiry. (*Interruptions*). I am giving you. This inefficiency and corruption in the construction of the bridge is a by-product of the corruption in the Maruti camp.

SHRI SITARAM KESRI (Bihar): Why Maruti camp? Only you want to protect the corrupt contractor. Why are you talking all this Talk to the point. (*Interruptions*)

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: My pot-bellied friend will never succeed in pullings me down. Sir, Sanjay Gandhi is a very sacred man in

[SHRI SASANKASEKHAR SANYAL]
the Bible of the Government of India. That Sanjay Gandhi is linked up with Maruti . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How does Maruti come in this?

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: This contractor entered to downgrade the construction because he had purchased the connivance of the engineers because those enginers overlooked these things. (*Interruptions*)

SHRI GUNANAND THAKUR (Bihar): Point or order. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is a point of order.

श्री गुणानन्द ठाकुर : उपसभापति जी, मेरा एक प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर है, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is a point of order.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: What is this?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sometimes points of order are from this side and sometimes the points of order are from that side.

श्री गुणानन्द ठाकुर : श्रीमन् मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि एक तो इतने महत्वपूर्ण सदन में एक ठेकेदार के मामले पर हम विचार कर रहे है और वह भी एक गलत ठेकेदार के ऊपर। उसके सम्बन्ध में इस तरह की बातें सदन के सामने कही जाती है ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (राजस्थान): यह तो ग्राप पर ग्रापत्ति है, ग्रापने स्वीकार कर लिया इस कालिंग ग्रटेंशन को तो यह ग्राप पर ग्रापत्ति है ।

श्री गुणानन्द ठाकुर : जरा हमें सुनें । तो एक तो एक ठेकेदार के ऊपर विचार कर रहे हैं और वैसे ठेकेदार के ऊपर जिसने कि गड़बड़ी की है । दूसरे यह है कि सरकार को सारी रिपोर्ट है लेकिन फिर भी खामख्वाह यह माननीय सदस्य कहां से कहां पहुंच गये कि मारुति को ग्रौर संजय को बीच में ले ग्राये । यह क्या तमाशा है । इस सम्बन्ध में जरूर ग्रापका कोई निर्णय होना चाहिये क्यों कि जो बहस चल रही है, जो ध्यान खीचा गया है, उसमें इस तरह से ठेकेदारों की वकालत को जो यह क्रान्तिकारी लोग ग्रौर जनसंघ के लोग करते हैं यह ठीक नही है ।

श्री शशांक शेखर सान्याल : सर यह ठेकेदार बड़ा ठगदार है ग्रौर उसके पीछे भी बड़े ठगदार हैं ग्रौर दोनों के लिये दोनों में समझौता हो गया है ।

श्री उपसभापति : ग्रापका प्रश्न क्या है?

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: That is what we have to understand and that is what I am trying to make out. Therefore we need the following information:

Firstly, who is the person who gave the information on the 18 of March: who received the information and to whom the information was passed on?

Secondly, an enquiry has to be made as to whether it is not a fact that these supervising engineers were asked to connive over the degraded construction in the bridge because this contractor was obliging the Maruti contractors at obliging rates and when some cross-litigation came up beween the two, on the 18th of March, in order to put pressure upon this contractor, the Marutis passed on the information. That is the matter to be enquired into. Then I demand: Why is it what the Engineer who gave the completion certificate has not been arrested for conspiracy? Suspension is one thing. These junior engineers have been arrested, some other persons have been arrested but why the engineer who has given the completion certificate has not been arrested, I want to know.

SHRI OM MEHTA: I strongly deny all the insinuations made by the hon. Member.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: These are not insinuations, these are allegations.

SHRI OM MEHTA: I deny all these allegations also because nobody from the Maruti Company has informed us. I have already told them . . .

SHR M. R. KRISHNA (Andhra Pradesh): Even if they have given the information, what is wrong with it? It is not a crime that the Maruti people have informed the Government. The only thing is that we will have to find out whether the information that has been given is correct or not. The Government has to verify this.

SHRI OM MEHTA: They have not done it. We do not want to protect anybody. We want to make this public life quite clean.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: By defending the Prime Minister's son.

SHRI OM MEHTA: There is no quesiton of defending anybody. You are defending the contractor and the engineers who have done the wrong.

SHRI SITARAM KESRI: You are defending all of them. You are responsible for all this.

SHR HARSH DEO MALAVIYA (Uttar Pradesh): Sir, in any and every matter that comes up before the House, some people have the habit of bringing in the name of Maruti, Sanjay Gandhi or Indira Gandhi. This is an attempt at character assassination of the Prime Minister and this is a very bad thing. We shall appeal to you to protect the House.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: We are here not to spare anybody.

SHRI OM MEHTA: As regards the informer, I have already told my friend, Mr. Tyagi, that two persons who were the employees of the firm, were the informers. They are under police protection and their names are with the police. I do not want to reveal their names because by revealing their names their lives might be endangered. If the Chair wants I can tell him in confidence those names but I do not want to reveal the names. The names are with us. On the information given by them we went to the sub-contractor's house and there a letter was found. In that letter that sub-contractor had written to the contractor that two piles have not been completed and that it was for to complete them. And this letter was the main thing on which this criminal charge was based and immediately proceedings were started.

SHRI DEBANANDA AMAT (Orissa): Sir, the contractors. . .

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON (Kerala): Sir, he has not answered one point. Why was not the Engineer who had given the completion certificate arrested?

SHRI OM MEHTA: He has been suspended.

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON: That is the Junior Engineer.

SHRI OM MEHTA: No, no. The Municipal Engineer has been suspended. Already a case has been registered against him under section 5 of the Prevention of Corruption Act. Already a case has been registered against him and the police are after him. It is for the police and the Home Ministry to arrest him. We are not shielding him. They are all absconding and just now I got the information that they are after them to arrest them. There is no question of our shielding them.

SHRI DEBANANDA AMAT: Sir, the contractors and the engineers of the NDMC who by putting two feet foundation out of twenty feet founda-

tion for the flyover bridge and thus for personal gains tried to play with the lives of thousands of people, are criminals, posing danger to life, people and property because daily thousands of people will be using that bridge and 20 to 22 trains will be passing under that and they will all be in danger because of the mischief of the contractors and the engineers. They are criminals and there should be a public trial as I suggest.

May I know from the hon. Minister whether the very contractors of the flyover bridge also constructed the building of the Maruti car factory at Faridabad and showed certain consideration by charging over Rs. 8 lakhs less from Mr. Sanjay Gandhi, son of Mrs. Indira Gandhi, the Prime Minister... (*Interruptions*). Dont try to hoot me down like that; let me put my question.

SHRI D. D. PURI (Haryana): Sir, on a point of order.

It is because of the consideration shown by the contractors to Mr. Sanjay Gandhi that Mr. Sanjay Gandhi got them this contract and when there some objections from the former Chairman of the New Delhi Municipal Committee, Mr. Chhabra, he was unceremoniously dismissed for framed up charges. May I know from the hon. Minister what steps are being taken against this contractor?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Amat, please take your seat. There is a point of order.

SHRI D. D. PURI: I would respectfully request you to rule whether all these references to another firm for which the contractor may or may not have worked or is working, are relevant at all to the calling attention who have before us.

SHRI O. P. TYAGI: They are relevant. (*Interruptions*).

SHRI OM MEHTA: Sir, I have no information about the contractors' other activities. At present we are concerned with the work of this bridge. What he is doing or what he is not doing about about this is what concerns me.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन् एक बात तो साफ है । जैसा हमारे दोस्तों ने बताया, यह ठेकेदार श्री संजय गांधी के मारुति लि० में काम करने के इनाम में यह ठेका लिया । इससे जाहिर है कि यह ठेकेदार बेईमान है । और श्रीमन्...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Any other new information you give. We have been hearing about this Maruti affair from every Member.

SHRI CHANDRA SHEKHAR (Uttar Pradesh): Sir, a Daniel has come to judgement. You stop this.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन् जरा पूछने दें सवाल को । दूसरी बात यह भी जाहिर है, जैसा कि साथियों ने बताया, कि पूरे देश में इस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है ओम मेहता जी ने यह जवाब दिया कि साहब चूंकि इसका लोएस्ट टेन्डर था इसलिए नहीं देते तो आप इल्जाम लगाते कि आपने हाइएस्ट टेन्डर वाले को दे दिया ।

यह भी जाहिर है कि मंत्री खासकर उसी को बनाया जाता है कि जो कम जानकारी रखता हो, अपनी अकल कम इस्तेमाल करता हो और जो दरबारी ज्यादा करता हो । श्री ओम महता जी को मालूम होना चाहिए कि किसी ठेकेदार का टेंन्डर एक्सेप्ट करते वक्त केवल यही नहीं देखा जाता कि उसका टेंन्डर लोएस्ट है बल्कि यह भी देखा जाता है जैसा कि मेनूअल में लिखा है कि उस ठेकेदार का पास्ट रिकार्ड कैसा है और उस ठेकेदार की कैपैसिटी उस काम को कम्पलीट करने की है या नहीं ? उस ठेकेदार के पास टैक्नीकल

नो-हाऊ है या नही। मंत्री जी ने जैसा बतलाया कि इस ठेकेदार का पिछला काम अच्छा नही रहा। इसने मारुती लिमिटेड की जो सपोर्टिंग वाल बनाई थी वह गिर गई थी और जिसके नीचें तीन मजदूर दब कर मर गये थे। मंत्री जी ने यह भी बतलाया कि इस ठेकेदार के बहुत से काम गड़बड़ रहे, तो इन सब बातों से साफ जाहिर है कि वह इस काबिल नही था। (*Interruption*) आप को तो समाज ने दूसरे काम सौंपे है, आप उनको पूरा कीजिये। इन सारी चीजो में से जाहिर है कि यह ठेकेदार इस काबिल नही था कि उस को ठेका दिया जाये, लेकिन फिर भी उसको ठेका दिया गया। जाहिर है वह ठेकेदार जो है वह पैसे वाला आदमी है और पैसे के जोर से उसने लोगों को प्रभावित किया और ठेका अपने नाम ले लिया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने पैसे से प्रभावित होकर मोदी के ऊपर से मुकदमा उठा लिया है उसी तरह से इस ठेकेदार के पैसे से भी प्रभावित होकर आप उसके ऊपर से भी मुकदमा उठा लेंगे ?

SHRI SITARAM KESRI: On a point of order. . . .

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : क्या यह कोई तरीका है कि कोई सदस्य बोल रहा हो तो बीच में इस तरह से टोका जाय।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You will have to take your seat. You cannot behave like that in this House. He has raised point of order. Please take your seat now.

SHRI SITARAM KESRI: My point of order is this. The Government has not withdrawn any case against any culprit. He has sugge ted that the Governmeint has withdrawn the case against Mr. Mody.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no point of order.

SHRI BHUPESH GUPTA; I have a point of order. What will be served during lunch?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not a point of order.

SHRI BHUPESH GUPTA: If this is not a point of order, that is also not a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Have you finished your question or not?

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही. मेरा सवाल श्रीमन् यह है कि उसके पैसे मे प्रभावित होकर उसके ऊपर मे मुकदमा नही उठा लिया जायेगा। दूसरा प्रश्न यह है कि आप इस जांच पडताल के बीच मे इस पुल के बनाने मे तीन चार साल की देरी तो नही लगा देंगे क्योंकि जिस समय गोरखपुर में राप्ति का पुल बन रहा था, तो ठेकेदार और इंजीनियर की साजिश की वजह से वह पुल बनते समय में टूट गया और जांच पड़ताल में चार साल लग गये और उसके बाद ही वह तैयार हुआ ? मैं जानना चाहता हूं कि आपकी इस जाच पड़ताल की वजह से चार पाच साल तो नही लग जायेंगें ?

श्री ओम मेहता : दीवान सूरज प्रकाश चोपड़ा एक फस्ट क्लास कन्ट्रेक्टर है और रजिस्टर कन्ट्रेक्टर सी० पी० डब्लू० डी० के हैं। यह बात पहले ही मालूम कर ली गई थी कि उनके पास इतना रुपया है कि वे इस काम को पूरा कर लेंगे और इस चीज की जांच कर ली गई थी कि इसके बाद भी हमने ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को सारे कमेन्टस दिखा दिये थे, जब टेंडर बुलाया गया तो उनसे कन्सल्ट कर लिया गया था और उनसे वैट करा लिया था। इस चीज को भी देख लिया था कि इस ठेकेदार के पास नो-हाऊ है या नही ? और यह पुल बना सकता है या नही। इस तरह की बातों के बारे मे नई दिल्ली म्युनिसिपैल्टी की जो वर्क्स कमेटी है, सब कमेटी है, उसने ये सारे प्रिकाशन्स ले लिये थे ?

जहां तक जाच की वजह से देरी की बात है और जैसा शुरू में त्यागी जी ने कहा कि जो 238 पिलर है, उनके बारे मे क्या हुआ ?

[श्री ओम मेहता]

उनकी लोड-टैस्टिग मे थोडा समय लगेगा लेकिन मैं इतना जरुर कह सकता हू कि तीन-चार वर्ष नही लगेगे, थोडी डिले होगी। हम समझते थे कि नवम्बर 73 मे यह कम्पलीट हो जायेगा लेकिन अब इस मे थोडी देरी होगी, लेकिन इस समय मै यह नही कह सकता कि कितनी देरी होगी। इस पुल पर मे हजारो वेहिकिल पास करेंगे, हम नही चाहते की पुल मे कोई खराबी आ जाय जिसकी वजह से कुछ कीमती जाने चली जाय और इस लिए सब प्रिकाशन्स लिए जायेगे। एन० डी० एम० सी० ने पहले ही ट्रासपोर्ट मिनिस्ट्री को लिख दिया है कि टेकनीकल सेल के एक्सपर्टस को भेजे और वे देखें कि किस तरह से पुल को खोदे बगैर देखा जा सकता है की वे पूरी तरह जमीन मे गये है। उन मे अगर कोई गडबड़ी होगी तो दुबारा उनको बनाना पडेगा। उसमे ज्यादा समय लगेगा। पूरे प्रिकाशन लिए बिना उसको आगे नही बनने देगे

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही मुकदमा उठा तो नही लेंगे ?

श्री ओम मेहता मुकदमा कैसे उठा लेंगे? मुकदमा कोर्ट मे दिया है, उसके एक लड़के को अभी तक एरेस्ट नही किया जा सका है है,उसकी तलाश मे है। आपके यहा चलता होगा हमारे यहा ऐसा नही चलता ?

श्री नवल किशोर (उत्तर प्रदेश) श्रीमन् ओम मेहता को इस बात की बडी शिकायत थी कि किसी ने उनको बधाई नही दी। मैं उनको बधाई देता हू कि कम से कम उन्होने एक काम करने की हिम्मत दिखाई।

SHRI OM MEHTA Thank you very much.

श्री नवल किशोर : लेकिन हमे दिक्कत यह पडी कि यह प्रोम्प्टनेस आम तार मे गवर्नमैन्ट मे नजर नही आती, इस लिए अगर शुरूआत ओम् मेहता ने की है तो मै उनको बधाई देता हू और उम्मीद करता हू कि इसी तरह से जो और कलप्रिट्स हैं उनको भी बुक किया जायेगा। आपने मारुती की बडी सफाई दी ? मगर मैं एक बात जानना चाहता हू कि यह जो पाइल फाउन्डेशन का काम है क्या यह भी उसी को दिया गया था या किसी दूसरे ठेकेदार को दिया गया था ? चूकि पाइल फाउन्डेशन का काम एक एक्सपर्ट काम है, क्या आपने वेरीफाई कर लिया था पहने की बात छोड दीजिए--कि इसके पास इसका टेकनीकल नो-हाऊ है जिससे यह इस काम को कर सकता है ? मुझे ताज्जुब हुआ इस लिए कि आपने पहली दफा यह अच्छा काम किया है। उस दिन मैंने पढा कि महाराष्ट्र मे एक पुल, जिस पर कई करोड रुपया खर्च हुआ था, जिसका उद्घाटन पडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, वह टूट गया। पता नही क्यो उसमे कोई एक्शन नही हुआ। हमको तो प्रदेश का ज्यादा एक्सपीरियस है। एक बात मै जानना चाहता हू टैक्नीकल नो-हाऊ के सम्बन्ध मे। दूसरी बात यह थी कि चार्जशीट आपने क्या लगाई है और किस दफा मे उसको गिरफतार किया गया है। मेहता साहब ने कहा कि यह काम 71 मे शुरू होना था, लेकिन डिफेंस से जो क्लियरेंस लेनी थी उसमे देर लगी और इसलिए यह 72 मे शुरू हुआ। आपने बयान मे यह भी कह दिया कि इसके डिफेक्ट 5-10-71 को ही मालूम हो गये थे। अगर 71 मे किसी का डिफेक्ट मालूम हो गया तो अप्रेल 72 मे इनको काम करने का अवसर क्यो दिया गया। एक आखिरी सवाल मैं यह पूछना चाहता हू कि जब काम कम्प्लीट हो जाता है तो उसके लिए पूरा पेमेट होता है। मै जानना चाहता हू कि इस ठेकेदार को इस ब्रिज के सम्बन्ध मे क्या पूरा पेमैंट कर दिया गया या नही किया गया। एक बात पूछी गई की चीफ टेक्नीकल एग्जामिनर ने औ के दिया तो उसको एरेस्ट क्यो नही किया गया। मै चाहता हूं कि ओम् मेहता साहब इस बात की जाच करे कि

अगर सी० टी० ई० ने उसको ओ० के० किया तो उसको सस्पैंड होना चाहिए ।

श्री ओम मेहता : जिस वक्त कंट्रैक्टर को ठेका दिया गया उस वक्त डिपार्टमैंट ने पूछा था कि उसके पास टैक्नीकल नो-हाउ है और उसने बताया था । हिन्दुस्तान में चन्द फर्में है जो इस काम को जानती है । उनमें से एक मैकैन्जीज प्राइवेट लिमिटेड है जिन्होंनें मैन एप्रोचेज का काम किया, उसके अलावा जो रिटेनिंग वाल्स है उनको ग्राउन्ड इजीनियरिंग वर्क्स ने किया । श्री नवल किशोर जी ने पूछा कि पूरा पैसा दिया गया है कि नहीं । अभी पूरा पैसा नही दिया गया है अभी वह छोटे काम पूरे कर रहा है । जिस जिस काम में डिफेक्ट पाये जाते हैं उसमें उसका पैसा रोक दिया जाता है ताकि अगर वह डिफेक्ट्स को पूरा करेगा तो उसको पैसा पूरा दिया जायेंगा । विजिलेंस कमीशन ने रिपोर्ट दी है उसकी जांच के लिए हम ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री का जो ब्रिज विभाग है उससे सहायता ले रहे है ।

श्री नवल किशोर : मैंनें पूछा आपनें इसको कौन सी दफा में गिरफ्तार किया है ?

श्री ओम मेहता : दफा 420 आई० पी० सी० में पहले किया गया था । इसके बाद इसको अमेंड करके अब धारा 409 और 120-बी आइ० पी० सी० लगाई गई है ।

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, we would like to have a little more facts about this case. I do not know as to why we should not welcome the action which has been taken againt the contractor. Now that we have got one contractor in jail we should be happy. But somehow I find it is not being welcomed. I have not seen the Maruti car either or its design or quality. But the very mention of this car generates too much horse power on both sides of the House. That is the problem. But leave that aside for the time being. We are not on that subject at the moment. May I know how it is that there was no inspection during the construction of this thing by the N.D.M.C. or certain other official agency? Do I take it, Sir, that after the contract is given neither the Government nor the local bodies should be interested in carrying out regular inspections as to whether the terms of the contract are being fulfilled, otherwise, we would not have waited till the information came from the two people who should be kept under police protection because there is danger to their life? That point should be clarified, and whether in the light of this thing the Ministry will consider the advisability of ensuring that whenever such contract is given to the private parties there is arrangement for regular inspection by competent engineers of proven integrity by the Government or other bodies who may be appointing authorities?

Secondly, Sir, I shoul like to know the value of the contract. What was the value of the three contracts and what are the antecedents of this gentleman who has been jailed now, who has been arrested? Was he given other government contracts of this type and whether he is still enjoying certain contracts which are still to be commissioned?

In this connection I should also like to know from the Government whether instruction has been issued that all contracts given to him by the New Delhi Municipal authorities or by the Central Government and other agencies to which the Government's jurisdiction extends to these contracts should be kept in abeyance or suspension till proper checking has been made and no payment should be made. I should like to have clarification of this thing.

Then, may I know who is the person who recommended him? It is not merely the engineer. Will you kindly enlighten of this gentleman's access to the authorities of the New Delhi Municipal Committee where he could get this contract?

SHRI OM MEHTA: Many points have been raised by hon'ble Bhupesh Guptaji. I am very thankful to him for the good word he has spoken that we have done something good. I must tell him that I have been in this department only for the last one month. In one month we have done some work. In the rest of the time we will do something more.

SHRI BHUPESH GUPTA: There you are. Your Department is the construction department. It is not a Police department. Why are you saying that? It is somebody in your Department who has bungled and the police has come to your rescue. How have you done this? It is like somebody killing me and the police arresting that person.

SHRI OM MEHTA: Unless we bring to the notice of the police how will the police act? About inspection, regular inspection was being done from time to time, many defects were discovered, and we had brought it to the notice of the contractors....

SHRI BHUPESH GUPTA: Then why no action was taken? This is a very serious thing. If from time to time you were getting reports of the defects and you had brought it to the notice of the NDMC, how is it that no action was taken? Now this should be a subject-matter of enquiry. I demand that this should be a specific case for enquiry as to who were responsible for sitting over whatever you might have sent to the New Delhi municipal authority.

SHRI OM MEHTA: Actions were being taken. His payment was withheld. He was asked to rectify Vigidefects. And unless the Central Vigilance Commission and the Chief Technical Examiner's organisation gives clearance, we are not going to release the payment to him which has been withheld.

As far as responsibility is concerned, there has been laxity on the part of the engineers who were responsible for this work because they did not do the work in the way we expected them to do. The inspection was to be done by them, and they were lax in that. So for that reason, they have been put under suspension and a case has been registered against him.

SHRI BHUPESH GUPTA: Mr. Om Mehta, the accounts of those who are very closely connected with that particular contractor should be frozen. Instructions should go to the banks that they should not be allowed to operate their accounts.

SHRI OM MEHTA: That is for the police to see what action should be taken.

SHRI BHUPESH GUPTA: What about the value of the contracts?

SHRI OM MEHTA: Sir, the whole estimate for this bridge was Rs. 1.23 crores. But to this contractor, only a contract for Rs. 56.75 lakhs was given.

SHRI BHUPESH GUPTA: What about the other two?

SHRI OM MEHTA: I have got the figures for only two, and for Simplex it was Rs. 60,18,850. For the third, I do not have the figure, but if the hon. Member is interested, I can get it.

SHRI BHUPESH GUPTA: I am not interested. I am interested in the contractor being in jail. The only point is, you find out who were these contractors because they have their lobbies. Each contractor has a lobby, has his knobs in the administration. Each contractor has his source of influence. Therefore you find out.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, he will find out all about the contractors. Now, messages from the Lok Sabha.